Ele. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaoun Zone, Haldwani

कृष्णा नाथ गोस्वामी बनाम अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
हल्द्वानी (ग्रामीण)

Case No:- 234/2023

04/09/23 पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। प्रस्तुत वाद में परिवादी द्वारा लाइनमैन पर पैसे लेकर मैन विद्युत लाइन को काटकर सात घरों की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया है तथा लाइनमैन के खिलाफ उचित कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा कहा गया कि लाईनमैन ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को झूठा बताया है। प्रतिउत्तर में लाईनमैन का पत्र भी लगाया गया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इंदिरानगर IInd बिंदुखत्ता में कार्य करने के दौरान दि. 16/8/2023 को श्री कृष्णा नाथ गोस्वामी द्वारा उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। कोई भी सात संयोजन के उपभोक्ता अंधेरे में नहीं रह रहे हैं। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप में पैसे लेकर सात घरों की बिजली बाधित करने की बात कही गयी है। परन्तु यह अनुत्तरित है कि सात घरों की बिजली काटने के लिए किनके द्वारा पैसा दिया गया। यह उल्लेख शिकायत में नहीं है। सात घरों की बिजली कटाने से किसी को क्या लाभ हो सकता है? तथा किसी के कहने पर इतने लोगों की आपूर्ति बाधित करने में लाईनमैन का क्या ~~काम~~ हित हो सकता है? अधि० अभियंता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में संलग्न स्पष्टीकरण से साफ है कि विद्युत आपूर्ति सभी सातों घरों में सुचारु है। अतः परिवादी का वाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल 80 वसंतविहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता) विउशिनिम० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी